खण्डः 2, अंकः 3 मार्च 2019

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

लोक सभा 2019: चुनाव आचार संहिता

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2019

रूपाकंन: आर किशोर

संश्लेषण

लोक सभा 2019: चुनाव आचार संहिता

अनुक्रमिका

सम्पादकीय i-ii

1. भारतीय चुनाव आचार संहिताः एक विकासात्मक प्रारूप – रजनी 1–4

2. लोक सभा 2019: चुनाव आचार सहिंता – शाम लाल 5–7

3. चुनाव आचार संहिताः निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कदम – शिम्पी पांडे 8–11

4. चुनाव आचार संहिता एवं गरीबो का लोकतंत्र – रोहित कुमार 12–14

5. 2019 के लोक सभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता – मोहिनी 15–17

6. आदर्श आचार संहिता के सुदृढ़ीकरण में सी–विजिल ऐप का योगदान – जया ओझा 18–20

7. निर्वाचन आयोग की आचरिता या लाचारिता? – गरिमा शमा 21–23

8. सोशल मीडिया कंपनियों के प्लेटफार्म पर लोक सभा चुनाव 2019 के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के दुरूपयोग रोकने हेतु रणनीति – डॉ. अमित अग्रवाल 24–26

9. चुनाव आचार संहिता एवं चुनाव आयोग की विफलता – यास्मिन 27–29

10. लोकसभा चुनाव आचार संहिता 2019 और पश्चिम बंगाल की हिंसा – राहुल शर्मा 30–33

सम्पादकीय

विकासशील राज्य शोध केन्द्र, दिल्लो विश्वविद्यालय की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के माध्यम से समसामयिक विषय पर अपने सामूहिक लेखों का यह सामूहिक प्रकटीकरण शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों की शोध के प्रति एक निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस निरंतरता में संश्लेषण के वर्ष 2019 के तृतीय तथा अब तक के अष्टम अंक को प्रकाशित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है।

यद्यपि वर्ष 2019 17वीं लोकसभा गठन के साथ आरंभ हुआ, इसका औपचारिक बिगुल मार्च माह में चुनाव आयोग की अधिसूचना से कार्यान्वित हुआ। चुनाव आयोग द्वारा नव लोक सभा गठन अधिसूचना चुनाव आचार संहिता सहित उद्घोषित हुई। अप्रैल से मई माह तक होने वाला 17वीं लोकसभा का चुनाव भारतीय लोकतंत्र के सात दशकों के सफल प्रयोगों का एक ज्वलंत उदाहरण भी होगा जिसका पूर्ण दायित्व एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भारतीय चुनाव आयोग पर आधारित होगा। अतः चुनावी अधिसूचना से चुनाव आचार संहिता संपूर्ण भारतवर्ष में कार्यान्वित हो गई।

सभी राजनीतिक दलों, सरकारों एवं राजनीतिज्ञों को इसी आचार संहिता के अंर्तगत चुनाव प्रणाली में अपने भाग्य की कसाटी को जांचना है। चुनावी व्यय से चुनावी प्रचार तक तथा चुनावी घोषणापत्र से चुनावी प्रतिज्ञापत्र/बाँड तक समस्त क्षेत्रों में चुनाव आयोग की सक्रिय भूमिका रहती है।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'लोक सभा 2019ः चुनाव आचार संहिता' विषय पर लेख आमंत्रित किये। दस उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में प्रेषित किये जा रहे हैं। ये समस्त लेख न केवल विभिन्न भारतीय चुनाव आयोग द्वारा एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कार्यान्वयन में इसकी अर्न्तनिहित शक्तियों का आलेख कर रहें हैं अपितु एक वृहत् लोकतंत्र में चुनाव एक त्यौहार के रुप में नागरिक सहभागिता के साथ सुचारु रुप से संपन्न कर एक पारदर्शी शासन के गठन का भी बोध करा रहे हैं।

संश्लेषण के इस अंक के समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव से संबंधित आधारभूत बिंदुओं को प्रकट करते हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक

हैं तथा सम्पादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को संपादन के माध्यम से किसी भी प्रकार प्रभावित व परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। व्यक्तिगत लेखों में प्रस्तुत तथ्य एवं मत लेखकों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदशित करते हैं।

संश्लेषण के इस अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम वर्ष 2019 के अप्रैल माह के अपने चतुर्थ समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

रविवार, 14 अप्रैल 2019

1

भारतीय चुनाव आचार संहिताः एक विकासात्मक प्रारूप

रजनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता, चुनाव के दौरान मुख्य रूप से भाषण, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, विभागों, चुनाव घोषणापत्र, जुलूस और सामान्य आचरण के संबंध में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की एक सूचो है। मानदंडों का ये समूह राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति के साथ विकसित किया गया है, जिन्होंने अपने पत्र और भावना में उक्त कोड में निहित सिद्धांतों का पालन करने की सहमति दी है। आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है।, इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दलों को यह सुनिश्चित करना है कि अनुचित बढ़त हासिल करने के लिए अपने लाभ की स्थिति का दुरुपयोग किसी दल द्वारा न किया जाएं। यह उन प्रथाओं को रद्द के लिए बनाया गया है जिन्हें आदर्श आचार संहिता के अनुसार भ्रष्ट माना जाता है। उदाहरण के लिए, राजनेताओं को घृणा फैलाने वाले भाषण नहीं देने चाहिए, एक समुदाय को दूसरे के विरूद्ध द्वेष रखना चाहिए या नई परियोजनाओं के बारे में वादे करना चाहिए जो मतदाता को प्रभावित कर सकते हैं।

आचार आदर्श संहिता का प्रारंभ सबसे पहले 1960 में केरल विधान सभा चुनाव में लागू हुआ। जिसमें बतायाय गया की चुनाव के दौरान और पहले क्या किया जाए और क्या नहीं। चुनाव सभाओं के संचालन, जुलूसों, भाषणों, नारों, पोस्टर और पटिट्यों के बारे में बताया गया। 1962 के लोकसभा चुनाव में इसे राजनीतिक दलों को जारी किया गया और राजनीतिक दलों से आचार संहिता पालन करने को कहा गया। 1967 में चुनावों में भी आचार संहिता का पालन किया गया। 1968 में राज्य स्तर पर सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की गई और न्यूनतम मानक के पालन संबंधी आचार संहिता जारी की गई। इस आचार संहिता को पुनः 1971–1972 के चुनावों के साथ 1974 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर इसे लागू किया गया। 1977 के चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच आचार संहिता जारी कि गई। 1979 में आचार

संहिता में एक नया भाग जोंड़ा गया। जिसमें सत्तारूढ़ दल पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया। और किसी भी दल के द्वारा शक्ति का दुरूपयोग करते हुए अधिक लाभ न उठाया जाए को जोड़ा गया। 1991 में आदर्शआचार संहिता को और अधिक मजबूती प्रदान की गई जिसमें चुनाव आयोग पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय हो गया और स्पष्ट किया गया कि चुनाव की तिथि की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू मानी जाए। आदर्श आचार संहिता को देश के शिर्ष न्यायालय से न्यायिक मान्यता प्रदान की गई जिसका प्रांरभ भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल सं जुड़े मामले में यह आदेश दिया गया कि तिथि के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कि जाए। जिसका पालन तब से आज तक चलता आ रहा है।

2019 के भारतीय आम चुनाव के लिए यह कोड 10 मार्च 2019 को लागू हुआ जब आयोग ने तिथि की घोषणा की और चुनावी प्रक्रिया के अंत तक लागू रहा।

आचार संहिता के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार स्पष्ट किए गए है—

- आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार परियोजनाओं या सार्वजनिक पहल के लिए कोई नई जमीन नहीं रख सकती है।
- सरकारी निकाय चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नहीं हैं।
- चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके प्रचारकों को अपने प्रतिद्वंद्वियों के गृह जीवन का सम्मान करना चाहिए और अपने घरों के सामने रोड शो या प्रदर्शन करके उन्हं परेशान नहीं करना चाहिए। संहिता उम्मीदवारों का इसे दूर रखने के लिए कहता है।
- चुनाव प्रचार रैलियों और रोड शो में सड़क यातायात में बाधा नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों को मतदाताओं को शराब बांटने से परहेज करने के लिए कहा जाता है। यह भारत में व्यापक रूप से ज्ञात तथ्य है कि चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को शराब वितरित की जा सकती है।
- बल में चुनाव संहिता सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को नए कल्याण कार्यक्रमों जैसे सड़कों के निर्माण, पीने के पानी की सुविधा का प्रावधान आदि या किसी भी रिबन काटने वाले समारोहों को शुरू करने से रोकता है।
- संहिता निर्देश देता है कि सार्वजनिक स्थान जैसे बैठक मैदान, हेलीपैड, सरकारी गेस्ट हाउस और बंगले को समान रूप से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बीच साझा किया

जाना चाहिए। इन सार्वजनिक स्थानों पर कुछ उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए।

- मतदान के दिन, सभी पार्टी उम्मीदवारों को एक मतदान प्रक्रिया के लिए मतदान केंद्रों पर मतदान अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। मतदान के दिन मतदान केंद्रों के आस–पास और उसके आस–पास उम्मीदवारों को अपने चुनाव चिन्ह नहीं दिखाने चाहिए। चुनाव आयोग से वैध पास के बिना किसी को भी बूथ में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
- मतदान पर्यवेक्षक होंगे, जिन्हें कोई भी शिकायत या रिपोर्ट दी जा सकती है।
- सत्तारूढ़ दल को अभियान के उद्देश्यों के लिए अपनी सीट का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्रियों को अधिकारियों की कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं करनो चाहिए, जो मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित कर सकती है।
- चुनाव प्रचार के दौरान लाउड स्पीकर का उपयोग करने से पहले, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को स्थानीय अधिकारियों से अनुमति या लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
- उम्मीदवारों को स्थानोय पुलिस को चुनावी रैलियों का संचालन करने के लिए सूचित करना चाहिए ताकि पुलिस अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करने में सक्षम बनाया जा सके।

एस के मेंदरीत्ता जो कि चुनाव आयोग के पूर्व कानूनी सलाहकार द्वारा बताया गया कि आचार संहिता 8 भागो में वितरित है जिसमें भाग 7 मुख्य्‍ रूप से महत्वपूर्ण है जो बताता है कि सरकार क्या नहीं कर सकती है।

2019 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता को लेकर कुछ नए आयामों को स्थापित करने का प्रयास किया गया जो इस प्रकार है–

1. नियम उल्लंघन रोकने के लिए मोबाइल ऐप की शुरूआत की गई जिस पर आदर्श आचार संहिता से जुड़े मामलों की शिकायत की जा सकेगी और इस पर तुंरत कार्यवाही भी होगी।

2. सी–विजन ऐप के माध्यम से चुनाव आयोग से सीधे संपर्क किया जा सकेगा। कार्यवाही 100 मिनट के अंदर ही पूरी कर ली जाएगी।
3. पहले पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव में ऐप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव में सी विजन ऐप का पहली बार प्रयोग किया गया है।
4. 1950 पर डायल कर हर प्रकार की जानकारी प्रदान करने की सुविधा प्रारंभ की गई
5. सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए दिशानिर्देश निश्चित किए गए।
6. ईवीएम की जीपीएस सिस्टम से ट्रैकिंग की व्यवस्था प्रारंभ की गई।
7. प्रचार में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री के प्रयोग पर रोक लगाई गई।

नई आचार संहिता लाने का उद्धेश्य–

1. प्रचार अभियान को स्वस्थ और निष्पक्ष रखना।
2. दलों के बीच झगड़ों और विवादो को टालना।
3. सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग रोकना।
4. दलों और उम्मीदवारों के लिए आचरण और व्यवहार का मानक का निश्चित करके लागू करना और इसका चुनाव के दौरान पालन होना जरूरी।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आचार संहिता को स्पष्ट, सुचारू और स्वच्छ प्रकृति के साथ करान के लिए सरकार ने अहम कदमों की ओर रूख किया है जिसके द्वारा जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद को समाप्त किया जा सके घृणा और तनाव को फैलने से रोका जा सके जिसमें किसी की धार्मिक या जातिय भावनाएं आहत न हों। वोटो के लिए भ्रष्ट आचरण को रोका सके।

♦♦♦♦♦

2

लोक सभा 2019ः चुनाव आचार सहिंता

शाम लाल

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वद्यिालय

मतदान केन्द्रों पर हिंसात्मक घटना तथा आदर्श आचार सहिंता के चलते राजनीतिक दलों द्वारा नियमो का उल्लंघन चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता हैं, जिसकी जबाबदेहो आयोग को सुनिश्चित करना उसका दायित्व है। लोकतंत्र देश की आत्मा हैं, जहाँ जनता द्वारा, जनता के लिए तथा जनता का शासन सुनिश्चित होता हैं और इसलिए चुनाव प्रत्येक पांच सालो में संपन्न होते हैं। इन्ही चुनावों के आधार पर जनता अपना शासक चुनती है तथा चुनाव की इस पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ निष्पक्षता और स्वतन्त्र चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व जिस संवधानिक संस्था पर होता हैं उसका नाम हैं चुनाव आयोग। परन्तु जब चुनाव प्रचार में बात मुद्दों , वादों और दावो से परे जाकर आरोप–प्रत्यारोप, गाली–गलौच, मार–पीट , दंगा–फसाद तक पहुंच आए तो वास्तविक रूप से लोकतंत्र की आत्मा छलनी होती हैं और तब इस संवैधानिक संस्था का उत्तरदायित्व बन जाता हैं की वो कठोर से कठोर कदम उठाएं और आदर्श आचार सहिंता की कसौटी पर हर एक नेता, दल, तथा राजनीतिक गतिविधियों का कठोरता से पालन करवाएं। इस बार पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने अनुछेद 324 के अनुसार एक बड़ा कदम उठाया और सिद्ध किया कि आदर्श आचार सहिंता सर्वोपरी हैं। चुनावों को निष्पक्ष, निर्विवादित तथा स्वतंत्र रूप से करवाने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है जिसे आचार सहिंता के नाम से जाना जाता हैं। अन्य शब्दों में ये जनता, सरकार तथा राजनीतिक दलो को दिए गए वो निर्देश है जो चुनाव घोषणा वाले दिन से आरम्भ होकर परिणाम तक लागू रहते है।

आज की तिथि ने मिडिया को भी चुनाव आचार सहिंता का भाग बना दिया। क्याकि मिडिया मतदाता को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आदर्श आचार सहिंता लागू होने के अंतराल में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। इस अंतराल में सार्वजानिक धन के द्वारा कोई ऐसा कार्यकम आयोजित नहीं किया जा सकता जो किसी राजनीतिक दल का प्रचार करता हो।

सरकारी मशीनरी का प्रयोग भी उस दौरान नहीं किया जा सकता और न ही किसो प्रकार का शिलान्यास जैसे कार्यकम आयोजित करवाए जा सकते हैं । इसके आलावा दलों के समर्थको तथा प्रत्याशियों को रैली , जुलुस , और चुनावी कार्यकम के लिए स्थानीय पुलिस को सूचना देना तथा अनुमति लेना अनिवार्य हैं। नियमो के अनुसार कोई भी दल धर्म, जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकता, कोई प्रत्याशी ऐसी बात नहीं कह सकता जिससे किसी धर्म, जाति या भाषा आधारित समुदायों के बीच घृणा फैलती हो। इन सभी नियमो के उल्लंघन होने पर आयोग सम्बंधित दल पर दंडात्मक कार्यवाही कर सकता हैं, जिसमे प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने से लेकर भविष्य में चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगाना तक शामिल हैं।

आचार सहिंता के इस नियम का प्रयोग 80 के दशक में श्रीमति गाँधी के मामले को लेकर देखा जा सकता हैं जब 1975 में न्यायालय ने उनका पद रद्द कर दिया और आने वाले 6 वर्षो तक चुनाव लड़ने स उन्हे प्रतिबंधित कर दिया। कुछ दशका के मामूली अंतर में आचार सहिंता के उल्लंघन पर सजा का वर्तमान व्यवहार तथा आयोग की क्षीण होती शक्ति की उपेक्षा करना ठीक प्रतीत नहीं होता। सवाल उठना ठीक प्रतीत होता हैं की क्या पश्चिम बंगाल में और सम्पूर्ण देश में चुनाव प्रक्रिया के दौरान इतनी हिंसात्मक घटनाएं आयोग तथा प्रशासन को संदेह के घेरे में नहीं ला देता ? मुझे यहाँ मार्टिन लूथर किंग की एक बात याद आती हैं जब वो कहते हैं की "हमारा जीवन उस दिन समाप्त होना शुरू हो जाता हैं जब हम उन चीजो को लेकर चुप होने लग जाते हैं जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं"। गोक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार "मैं आपकी चुप्पी को आपकी सहमती के रूप में मान लूँगा"। उनकी ये पंक्ति तब अधिक उपयोगी प्रतीत होती हैं जब राहुल गाँधी चुनाव आयोग को सत्ताधारी दल के समर्थन के सम्बन्ध में 'मोन समर्थन' शब्द का प्रयोग करते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय आयोग से याचिका पर कारण बताओ नोटिस जारी करता हैं तो आयोग की मजबूरी का पता तब ज्यादा समझ आता हैं। 'हम बेजुबान हैं, हम शक्तिहीन हैं, हम केवल सलाह और शिकायत दर्ज कर सकते हैं 'जसे शब्द लोकतान्त्रिक जैसे देश की संवैधानिक जैसी संस्था के लिए शोभनीय नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल में हुई हिंसात्मक घटना का इतिहास स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस को भली–भांति मालूम था, साथ ही रैली की सूचना भी पूर्व विदित थी। परन्तु फिर भी इस प्रकार असावधान आचरण सोची समझी साजिश अधिक प्रतीत होती हैं। कैसे दोनो दलों के कार्यकर्ताओं के मध्य नियंत्रण इस कदर बलगाम हो गया की उन्हें सम्भालना अब पुलिस के नियंत्रण की बात नहीं रह गयी और वो मारपीट तथा सार्वजानिक संपत्ति को हानि पहुचाने में सफल हो गए। तब ये

समझना कठिन और अनिवार्य भी हो जाता है की कैसे कोई राजनीतिक दल रोड शो के नाम पर शक्ति प्रदर्शन की छूट ले बैठते हैं? उनकी कोई मर्यादा क्यों नहीं रह गयी हैं? ऐसा आखिर क्यों हो रहा हैं की चुनाव आयोग का किसी दल को कोई भय ही नहीं रहा? कोलकाता में हुई हिंसक घटनाओ के बाद निर्वाचन आयोग की भ्मिका गंभीर रूप से प्रश्नों के घेरे में आ गई हैं। चुनाव के अंतराल में हिंसा न केवल कोलकाता बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रो में भी दखने को मिली।

ओड़िसा में नक्सलिय हमले से एक महिला को अपने जान तक से हाथ धोना पड़ा। बिहार और जम्मू कश्मीर के हालत भी कुछ सही संकेत नहीं देते। क्योकि जहाँ मुंगेर में मतदान केन्द्रों पर बाहरी शक्ति के नियंत्रण करने की खबर पाई गयी वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ढाई फीसदी वोटिंग तथा पुलवामा तथा शोपियां में शून्य मतदान की खबर सामने आई हैं जो की लोकतंत्र पर बहुत बड़ा संकट का संकेत हैं। क्या लोग आतंकवाद के भय से घरो से बहार नहीं निकल रहे है। जबकि कश्मीर में हमारी सुरक्षा सेना दिन–रात अपनी सेवाएं दे रहो हैं। क्या यह घटनाएँ चुनाव आयोग तथा सुरक्षा बलो पर प्रश्न खड़ा नहीं करती? अगर हमारी सरकार यह बात सुनिश्चित नहीं कर पायी की लोग बिना किसी भय के स्वतंत्र वोट डाले, फिर न केवल कश्मीर बल्कि सम्पूर्ण भारत में भी यह भय मुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने वाले दावों पर प्रश्न चिन्ह हमेशा हमेशा के लिए रह जाता हैं ।

♦♦♦♦♦

3

चुनाव आचार संहिताः निर्वाचन आयोग का एक महत्वपूर्ण कदम

शिम्पी पांडे

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

एक देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में चुनावों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का सार और संविधान का अंग मौलिक अंग है। राजनीति में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के चुनाव अहम होते हैं। लोकतंत्र को सुदृढ़ता और स्थिरता प्रदान करने में भी चुनावो का महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजनीति में चुनावों को यदि लोकतांत्रिक महोत्सव कहा जाये तो यह कदापि अनुचित नहीं होगा।

चुनाव राजनीति का वह महोत्सव है जिसमें देश के क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय सभी राजनीतिक दल, आम जनता, इत्यादि सभी का योगदान रहता है और इसमें अधिक से अधिक लोग भाग लेते हैं। अतः इसे राजनीतिक महोत्सव कहना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत में लोकसभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभा, विधान परिषद के चुनाव आयोजित किये जाते हैं। चुनावों के दौरान सभी राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ अपने दल तथा नीतियों, कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न क्षेत्रों में रैलियाँ, भाषण, संगोष्ठी, समितियों का आयोजन करते हैं।

चुनावों का आयोजन एवं संचालन एक अति महत्वपूर्ण कार्य है तथा यह भी आवश्यक है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से आयोजित किये जायें। भारत में चुनावों के संचालन का कार्य निवाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि के चुनावों का आयोजन एवं पर्यवेक्षण भी करता है। निर्वाचन आयोग चुनावों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने हेतु विभिन्न नियम व दिशा निर्देश भो लागू करता है और चुनाव आचार–संहिता इसका एक प्रमुख उदाहरण है। चुनाव आचार–संहिता का पालन सभी राजनीतिक दलों और प्रत्येक प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर प्रत्याशी के विरुद्ध ठोस कदम भी उठाये जा सकते हैं और कठोर कार्यवाही भी की जा सकती है।

भारत में संसदीय और राज्य विधानसभा के चुनावों मं चुनाव आचार–संहिता महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। चुनाव आचार संहिता निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाने वाला वह दिशा निर्देश हैं, जो राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के नामांकन संबंधी विषयों को विनियमित करता हैं। जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराये जा सकें। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से संबंधित है जो निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधायिका के चुनावों के पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को शसक्त बनाता है जिसमें चुनावों के देखरेख, नियंत्रण, एवं निर्देशन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। चुनाव आचार संहिता का कोई विशिष्ट वैधानिक आधार नहीं है अपितु यह एक प्रेरक शक्ति है जो निर्वाचक नैतिकता पर आधारित है।

चुनाव आचार संहिता उस दिन से ही परिचालन में आ जाती है जिस दिन चुनावों के तिथि की घोषणा होती है और चुनावों के परिणाम घोषित होने तक लागू रहती है। चुनावों की तिथि घोषित होने के दिन से चुनाव संपन्न होने तक सरकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग, आयोग के कार्यकर्त्ता बन जाते हैं। प्रेस सूचना कार्यालय (Press Information Bureau) के अनुसार चुनाव आचार संहिता सर्वप्रथम 1960 में केरला के राज्य विधानसभा चुनावों में प्रस्तावित की गई। इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों की बैठकों, भाषणों, नारों, इत्यादि से संबंधित दिशा निर्देश उल्लेखित किए गए। 1962 के लोकसभा चुनावों में चुनाव आचार संहिता का सभी दलों के द्वारा पालन किया गया। 1979 में 'सत्ता की सरकार' को नियंत्रित करने हेतु एक भाग बनाया गया जिससे वह चुनावों के दौरान अतिरिक्त अनुचित लाभ प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जा सके। इसमे निजी लाभ हेतु सरकारी संस्था एवं सरकारी साधन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। चुनाव आचार संहिता में आठ प्रावधान हैं, जो सामान्य आचरण, बैठकों, रैलियों, मतदान के दिन, मतदान केंद्र, पर्यवेक्षक, सत्ता की सरकार, और चुनाव घोषणापत्र से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित करता हैं।

चुनाव आचार–संहिता के अनुसार राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, भूतपूर्व दस्तावेज और कार्यों से संबंधित ही होनी चाहिए। जातिगत अथवा सांप्रदायिक भावनाओं का मत प्राप्त करने हेतु प्रयोग करना प्रतिबंधित है। किसी भी प्रत्याशी के असत्यापित विवरण के आधार पर आलोचना करना, मतदाताओं को रिश्वत देना या भयभीत करना, किसी के निवास स्थान पर उसके विचारो का प्रतिरोध करना प्रतिबंधित है। किसी भी राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी

को जुलूस निकालने अथवा रैली करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति लेना अनिवार्य हैं एवं पुलिस संस्था को किसी भी बैठक या रैली से पूर्व बैठक के समय और स्थान संबंधी जानकारी देना आवश्यक है। एक ही स्थान पर यदि दो प्रत्याशियों की रैलियाँ हो तो यह प्रयास किया जाना चाहिए कि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न ना हो। किसी भी दल के प्रत्याशी के पुतले का प्रयोग अथवा उसको जलाने की अनुमति नहीं है। मतदान केंद्र पर कार्यकर्ताओं को पहचान चिन्ह दिए जाने अनिवार्य हैं, किंतु उसमें किसी दल का नाम अथवा प्रत्याशी के नाम का उल्लेख नहीं होना चाहिए। मतदान केंद्र पर सिर्फ उसी मतदाता को प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए जिसके पास मत डालने के लिए वैध दस्तावेज हों।

चुनावों के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति होगी जिनके पास चुनाव के दौरान समस्या होने पर कोई भी प्रत्याशी शिकायत दर्ज करा सकता है। सत्ताधारी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार भी चुनाव आचार संहिता अवमानना नहीं कर सकती। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिया गया है कि कि वह चुनावो घोषणापत्र हेतु दिशा निर्देश भी चुनाव आचार–संहिता में सम्मिलित करे। इसके द्वारा राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया गया कि घोषणापत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु विभिन्न अतिश्योक्तिपूर्ण आश्वासन व योजनाओं के विवरण को सीमित करे और साथ ही यह भी कहा गया कि योजनाओं को पूर्ण करने के साधनों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में घोषणापत्र को चुनाव आचार–संहिता में सम्मिलित किया गया है।

निर्वाचन आयोग के द्वारा समय–समय पर निर्वाचक प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए संशोधन किये जाते हैं जिससे चुनाव पारदर्शी व निष्पक्ष हो सकें। निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा के चुनावों में प्रचार के चरण को 21 दिन से से घटाकर 14 दिन कर दिया गया है, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग प्रारंभ किया गया, धन के उपयोग को भी सीमित करने का प्रयास किया गया जिससे चुनावी धन के व्यय को कम किया जा सके। इसके साथ ही मतदान के 48 घंटे पूर्व सभी राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार–प्रसार पर प्रतिबंध लगाया गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा चुनावों में सफलता प्राप्त करने हेतु मतदाताओं को प्रलोभन देने, उपहार अथवा वस्तुओं का वितरण, शराब का वितरण, धन का वितरण इत्यादि जैसी कई घटनायें निरंतर घटित होती हैं, जो चुनावों की निष्पक्षता के मार्ग में बाधक हैं। ऐसी घटनाएं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को दर्शाती हैं एवं इनपर नियंत्रण करना अतिआवश्यक है।

वर्तमान 17वीं लोकसभा चुनावों के प्रचार के समय विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं नेताओं के द्वारा चुनावी रैलियों, और भाषणों में सरकारी पद गरिमा एवं मर्यादा की अनदेखी की जा रही है एवं निजी आरोप–प्रत्यारोप भी लगाये जा रहे हैं। राजनीतिक दलों, राजनीतिज्ञों के द्वारा चुनाव आचार संहिता का पालन अनिवार्य किया जाना चाहिए उसके पश्चात ही चुनावों में सुधारों की अपेक्षा की जा सकती है। चुनावों में आचार संहिता नैतिक पथ–प्रदर्शक की भूमिका निभाता है॰ चुनाव आचार संहिता के निर्देशों एवं नियमों में भी बदलाव की आवश्यकता है एवं साथ ही इसे न्यायिक और कानून की दृष्टि से अधिक वैध बनाना होगा। अब चुनाव आचार संहिता को अधिक शसक्त बनाने की आवश्कयता है जिससे निर्वाचक राजनीति एवं चुनावों मं निष्पक्षता अधिक सुदृढ़ हो सके।

♦♦♦♦♦

4

चुनाव आचार संहिता एवं गरीबो का लोकतंत्र

रोहित कुमार

शोधार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

लोकतंत्र की आधारिक विशिष्टता चुनावी प्रक्रिया है, भारत में तो चुनाव को 'लोकतंत्र के पर्व' की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि एक 'मतदाता और राजनीतिक व्यक्ति' के बीच की धुरी चुनाव है, इस चुनाव प्रक्रिया का सकुशल एवं निष्पक्षतापूर्वक संचालन हेतु 'चुनाव आचार संहिता' का निर्माण किया जाता है। साधारण शब्दों में 'आचार संहिता' से तात्पर्य किसी भी औपचारिक कार्य के क्रियान्वयन हेतु एक निश्चित नियमावली का होना, जिसका पालन अनिवार्य होता है और उल्लंघन किए जाने पर उचित दण्ड प्रक्रिया निर्धारित होती है। आचार संहिता में उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेहिता का बोध समाहित होता है। अतः चुनाव आचार संहिता भी इसी का उदाहरण है, जो चुनाव की तारीखों की घोषणा से मतगणना तक, मुख्यतः राजनीतिक दल और राजनेताओं की गतिविधियो एवं क्रियाकलापों पर लागू होती है।

जवीद आलम ने अपने लेख 'गरीबों का लोकतंत्र' में दर्शाया है कि "लोकतंत्र की वैधता" समाज के जिस हिस्से (पढ़ा–लिखा और द्विज) से निकलती थी, उसकी बजाए अब इसके स्रोत "गरीब और उत्पीड़ित समुदाय" है। अर्थात आजादी के सत्तर साल बाद भी, देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दयनीय स्थिति में गुजर–बसर कर रहा है, उसके लिए आज भी रोटी, कपड़ा, मकान बुनियादी आवश्यकता बनी हुई है। आगे कहते है, राजनीति कितनी भी बदरंग दिखाई पड़ती हो परंतु चुनावी प्रक्रिया गरीब तबके के लिए आज भी वरदान की तरह है, जिसमे गरीब व्यक्ति अपने लिए नाना प्रकार की सुविधाओं, आकांक्षाओं की तलाश करता नजर आता है। इसका स्पष्ट प्रमाण हम 17वीं लोकसभा के लिए क्रियान्वित हो रहे चुनाव में प्रमुख केंद्रीय पार्टियों के 'चुनावी घोषणापत्र' की समीक्षा उपरांत पाते है कि आकर्षक मुद्दा "गरीब लोगो" से ही जुड़ा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वचनबद्धता जाहिर कि– सालाना गरीब तबके से जुड़े 20: लोगों के खाते में ₹72,000 हस्तांतरित किए जाएंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया, 5 साल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या घटाकर आबादी के 10: से

कम करना। हालांकि उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती की इस धन की व्यवस्था कहां से की जाएगी और राज्य पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा या नहीं?

यह इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि भारत में चुनाव का प्रारंभ गरीब तबके के साथ विचार–विमर्श, उसके आवास पर भोजन ग्रहण करने, सेल्फी संस्कृति का सहारा लेकर गरीब समर्थित छवि विकसित करने, चुनावी सभाओ में भारी संख्या में गरीब लोगो का शामिल होना, और डोर–टू–डोर कैंपेन तक जारी रहता है और इसका चरमोत्कर्ष दलों का 'लोकलुभावन चुनावी घोषणापत्र' जारी कर गरीब एवम् वंचित तबके को मतपेटी तक लाने के लिए आकर्षित करना है। यद्यपि हम इसे सकारात्मक रूप में वर्णित कर सकते हैं जिसमें समाज के निचले तबके तक लोकतंत्र में जुड़े रहने की आशा बंधी रहती है कि 'हमारा भी विकास लोकतंत्र में संभव' है।

परंतु इसका नकारात्मक पहलू 'चुनाव आचार संहिता' उल्लंघन से उजागर होता है। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्षतापूर्वक समाप्त हो इसके लिए आचार संहिता में प्रावधान किया गया है, मत पाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल एवं प्रत्याक्षी भ्रष्ट आचरण जैसे मतदाता को आर्थिक लोभ के रूप में रिश्वत देना और मतकर्ता को जोर–जबरदस्ती एवं दबाव बनाकर अपने समर्थन में मत डलवाना आदि गैर–कानूनी तरिको का सहारा नहीं लेगा। क्योंकि समाज का सबसे बेतहाशा, भेदभाव और सुविधाओं से वंचित गरीब तबका अपनी 'मजबूरी और लालच' में इन भ्रष्ट आचरणओं का शिकार हो भी जाता है परंतु यह 'लोकतंत्र के आदर्श रूप' (जिसमें जनता बिना किसी पक्षपात के अपनी दैनिक जरूरतों अनुरूप चुनाव में भागीदार बने) के लिए अभिशाप है। इसका नकारात्मक प्रभाव हम "राजनीति में अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण" के रूप में देख सकते हैं।

ऐसा नहीं है कि देश में केवल अल्पविकसित एवं पिछड़े राज्यों तथा क्षेत्रों तक यह उपहार, रिश्वत और दबाव जैसी अलोकतांत्रिक गतिविधियां होती हैं, बल्कि विकसित राज्य और क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं है अर्थात् जितना विकसित राज्य और क्षेत्र होगा उपहारों का मूल्य और रिश्वत राशि उतनी उच्च हो जाएगी और जितना पिछड़ा होगा उतना ही उपहार का मूल्य और रिश्वत राशि कम हो जाएगी। साथ ही इसका विभाजन हम शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के आधार पर भी कर सकते हैं क्योंकि भारत एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला देश है और यह क्षेत्र गरीबी की चपेट में है इसलिए ग्रामीण पृष्ठभूमि इस अलोकतांत्रिक गतिविधि से ज्यादा ग्रसित है, जिसमे बिना किसी भय के आचार सहिता का उल्लंघन किया जाता है। 17वीं लोकसभा चुनाव में भी यह

देखा जा सकता है जैसे हैदराबाद में दस हजार करोड़ का पकड़ा जाना, मध्यप्रदेश में 281 करोड़, तेलंगाना में आठ करोड़, दिल्ली में 16000 लीटर और फिरोजाबाद में 573 लीटर अवैध शराब की जब्ती, कहीं पर अवैध हथियारों का बरामद होना इत्यादि।

इन गैर–कानूनी गतिविधियों की बढ़ती बारंबारता से देश का लोकतांत्रिक वातावरण दूषित होता है। और इसकी चपेट में समाज का सबसे गरीब और पिछड़े तबका प्रभावित होता है। जिससे वह अपनी आत्मचेतना के आधार पर वोट नहीं कर पाते या फिर परिवार के मुखिया की इच्छाशक्ति के आधार पर पूरा परिवार बिना जिज्ञासा के ही मतदान करता है। ये अलोकतांत्रिक गतिविधियां ना केवल लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक सीमित है बल्कि जब से पंचायतीराज चुनावों का राजनीतिकरण हुआ है तब से पंचायती राज चुनावों में भी इन गतिविधियों का विस्तार हुआ है। ये भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता एवं प्रसंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगा देता हैं। इसलिए इसके समाधान हेतु कार्यपालिका स्तर पर उचित प्रावधान करने चाहिए, साथ ही चुनाव आयोग की मॉनिटरिंग क्षमता और चुनाव आयोग की प्रत्यक्ष कार्यवाही शक्तियों में इजाफा करना चाहिए। जिससे आचार संहिता का मुख्य सार "मत व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार" पूर्ण हो सके।

♦♦♦♦♦

5

2019 के लोक सभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता

मोहिनी

शोधार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

निर्वाचन गतिशील लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रभावी उपकरण है। निर्वाचन के माध्यम से ही जनप्रतिनिधियों का चयन होता है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में लोक सभा, विधान सभा व स्थानीय स्तर पर चुनावों का आयोजन किया जाता है। निर्वाचन लोकतंत्र का महापर्व है, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र को मजबूत कर भारत की संसदीय व्यवस्था को एक प्राथमिक व विश्वसनीय आकार प्रदान करता है। चुनाव जनता के मत, विचारों व उनकी आकांक्षाओं की सटीक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान देश में 17 वी लोक सभा के चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष वह पारदर्शी चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, इस नियमावली को ही आचार संहिता कहते हैं, जिस दिन से चुनाव की तिथि की घोषणा होती है। उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। चुनाव की तीथि से लेकर परिणामों की घोषणा तक सभी दलों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। आचार संहिता लागू होने के दौरान केंद्र सरकार व सभी राज्यों के अधिकारी वर्ग कर्मचारी चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के अधिकारी व कर्मचारी के रूप में कार्य करतेहैं। आचार संहिता के सामान्य नियम–

1. कोई दल ऐसा काम न करे जिससे जाति, धर्म, भाषा के आधार पर विभिन्न समुदायों में मतभेद बढे या घृणा फैले।
2. राजनीतिक दलों के आलोचना कार्यक्रम नीतियों तक सीमित हो न कि व्यक्तिगत।
3. धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप मेंनहीं किया जाना चाहिए।
4. मत प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार का उपयोग न करें, जैसे मतदाताओं को लुभाने के लिए रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, धमकाना।
5. किसी विपक्षी दल की सभा में या जुलूस में बाधा नहीं पहुंचाए।
6. राजनीतिक दल ऐसी कोई अपील जारी नहीं करेंगे, जिससे किसी जाति व धर्म की भावनाएं आहत होती हों।

मतदान के दिन उम्मीदवारों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है, जैसे–मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची साधारण कागज पर हो उनमें प्रतीक चिन्ह, अभ्यार्थी या दल का नाम नहीं हो। मतदान के दिन किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रचार की अनुमति नहीं दी जाती। सत्ता में रहन वाले व्यक्तियों को चुनावों के दौरान सत्ता का लाभ प्राप्त न हो इसका विशेष ध्यान आचार संहिता में रखा जाता है। इसीलिए चुनाव आयोग द्वारा सत्ताधारी दल के लिए विशेष अनुदेश जारी किए जाते हैं, जैसे–सरकारी मंत्री शासकीय दौरों के अंतराल चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, चुनाव प्रचार में मंत्री शासकीय मशीनरी तथा कर्मचारियों का प्रयोग नहीं करेंगे। स्थानांतरण या पद स्थापना के प्रक्रम में चुनाव आयोग के पूर्व अनुमोदन जरूरी होता है। आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकार कोई भी कल्याणकारी योजना जारी नहीं कर सकती।

इन नियमों के साथ–साथ चुनावों में पारदर्शिता, निष्पक्षता बनाए रखने व मतदाताओं को जागरूक करने, मतदान साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग द्वारा नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। 2019 के लोक सभा चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा "लीव नो वोटर बिहाइंड" मिशन चलाया जा रहा है। जिसके अनुसार दिव्यांग मतदाताओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, मतदान बूथ पर रैंप की व्यवस्था की गई है। मतदाताओं के लिए बूथ स्थल पर ठंडे पानी की व छायास्थल की व्यवस्था की गई है, मतदाताओं की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है।

निर्वाचन आयोग द्वारा " सुगम्य चुनावों पर राष्ट्रीय परामर्श" का आयोजन किया गया है। मतदाता शिक्षा व मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए SVEEP पहल। (व्यवस्थित मतदाता शिक्षा विभाग चुनाव भागीदारी) अभियान चलाया जा रहा है। चुनावों में आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजिल एप लागू की गई है। यह एंड्रॉयड आधारित एक मोबाइल एप है, जो नागरिकों को निर्वाचन हेतु आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के दौरान राजनीतिक दलों व उनके प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कदाचार के साक्ष्यों को साझा करने मं सक्षम बनाती है। सतर्क नागरिक को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति के दौरान दो मिनट की अवधि तक का एक चित्र या वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। तत्पश्चात फोटो या वीडियो को एप पर अपलोड करना होता है।

2019 के लोक सभा चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। मतदाताओं को अपने मताधिकार का सही प्रयोग करने हेतु अपने उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो इस का ध्यान रखा

जा रहा है। वर्तमान में चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए डिजीटल मीडिया का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। इसे ध्यानमें रखतेहुए चुनावआयोग द्वारानिष्पक्ष चुनाव के लिए डिजीटल मीडिया को प्रबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान रेडियो, टीवी अथवा अन्य किसी माध्यम से किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार निषेध है, लेकिन वर्तमान युग में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण इसे कठोरता से लागू करना कठिन होता जा रहा है। इसे देखते हुए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। ताकि धारा 126 के प्रावधानों के मद्देनजर मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले की निषेधात्मक अवधि के अंतराल डिजीटल मीडिया से चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जा सके।

इसके तत्काल समिति द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिसके आधार पर यह प्रावधान किया गया है कि उम्मीदवार को अपने सोशल अकाउंट की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। सोशल मीडिया से मतदान के 48 घंटे पूर्व से मतदान तक चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया के विज्ञापन के खर्चे को चुनाव खर्च में शामिल किया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में ध्यान से देखा जाए तो यह चुनाव पिछले लोक सभा चुनावों से भिन्न है। इनमें चुनावों में विपक्ष के पास मुद्दे का अभाव है। विपक्ष द्वारा भाजपा विरोध के आधार पर गुट का निर्माण किया जा रहा ह। सभी विपक्षी दलों द्वारा विचारधारा, नीतियों विकास के विपरित भाजपा विरोध के आधार पर एकजुटता का प्रदर्शन किया जा रहा है। चुनावों में सत्ता प्राप्ति के लिए भाषा का गिरता स्तर देश विरोधी तर्क चिंता का विषय है।

इससब की तरफ चुनाव आयोग द्वारा लगातार ध्यान दिया जा रहा है। उम्मीदवारों द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी सतर्कता से कार्य किया जा रहा है। कुल मिलाकर चुनावी महापर्व को संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता के पालन पर बल दे रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक चुनावों का आयोजन किया जा रहा है, इसमे सभी का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।

♦♦♦♦♦

6

आदर्श आचार संहिता के सुदृढ़ीकरण में सी–विजिल ऐप का योगदान

जया ओझा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत में संसदीय लोकतन्त्र की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत पांच वर्ष की निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होते है। जनता द्वारा लोक सभा तथा अपने राज्यों की विधान सभाओं के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। वयस्क मताधिकार पर आधारित होने के कारण इस लोकतन्त्र में साधारण जनता को राजनीति प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। चुनावी वातावरण में सभी दल नागरिक मतदाताओं के पास जाकर अपने नीतियों व कार्यक्रमों को बताने का प्रयास करते हैं, ऐसे में चुनाव आयोग के लिए सभी दलों को समान अवसर प्रदान कराना एक मुख्य चुनौती बन जाती है परंतु "आदर्श आचार संहिता" इस चुनौती को कम करने का पूर्णतः प्रयास करती है।

आदर्श आचार संहिता किसी कानून के द्वारा नहीं, अपितु सभी राजनीतिक दलों की सहमति द्वारा निर्मित व विकसित संहिता है, जो चुनावों से पहले राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए कुछ दिशा–निर्देशों की सूची प्रदान करती है। चुनाव अधिसूचना लागू होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है तथा चुनाव परिणाम आने तक लागू रहती है। इसकी अवधि लगभग 45 दिनों की होती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना तथा चुनावी हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और बैलेट बॉक्स आदि जैसी घटनाओं को रोकना है। 2019 के लोक सभा चुनाव के अंतर्गत चुनावों के समय होने वाली कमियों को रोकने के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक मोबाइल ऐप 'सी–विजिल' (C-VIGIL) को लॉन्च किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ओ. पी. रावत के अनुसार इस ऐप के द्वारा चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना मतदाताओं द्वारा दी जा सकती है। यह ऐप आदर्श आचार संहिता को मजबूत बनाने में एक मुख्य भूमिका निभा सकता है।

भारत में आम चुनावों के समय लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता का इतिहास मुख्यतः पुराना है। चुनावी अचार संहिता को सबसे पहले केरल विधानसभा के चुनाव 1960 में लागू किया

किया गया था, जिसके अंतर्गत यह बताया गया था की चुनावों के अंतर्गत राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं। इसमें चुनाव सभाओं के संचालन, जुलूसों, भाषणों, नारों, पोस्टरों एवं पट्टियों के बारे में बताया गया था। वहीं 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में लागू करते हुए राज्य सरकारों से कहा गया कि वो राजनीतिक दलों को इस आचार संहिता को पालन करने का निर्देश दें। इस प्रकार 1962 के आम चुनावों में आचार संहिता का पर्याप्त रूप में पालन किया गया।

आदर्श आचार संहिता को पूर्णतः लागू करने की प्रक्रिया द्वारा 1968 में निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तर पर सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस बैठक में चुनाव आयोग ने सभी दलों को 'न्यूनतम मानक के पालन संबंधी आचार संहिता' को लागू किया। 1979 में आदर्श आचार संहिता के विकास में एक नया मोड़ देखा गया। निर्वाचन आयोग द्वारा इसका क्षेत्र बढ़ाते हुए इसमें एक नया भाग जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत सत्तारूढ़ दल पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया ताकि सत्तारूढ़ दल अन्य दलों व उम्मीदवारों की तुलना में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अधिक लाभ न उठा पाए। इस प्रकार 1991 में आदर्श संहिता का और सुदृढ़ीकरण किया गया। चुनाव आयोग आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पहले से अत्यधिक सक्रिय हो गया था, आयोग ने इस बात पर बल दिया की आचार संहिता उसी दिन से लागू मानी जाए जिस दिन से चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की जाती है परंतु इस बात को लेकर चुनाव आयोग व सरकार के बीच मतभेद थे। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल" केस अप्रैल 2001 में यह आदेश दिया गया कि चुनाव आयोग की ओर से दिनांकों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाए। इसप्रकार आदर्श आचार संहिता के नियमों के अनुसार अगर कोई उम्मीदवार आचार संहिता का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके विरुद्ध तर्क संगत कार्यवाही कर सकता है।

2019 के लोक सभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता को पुनः सुदृढ़ करने का प्रयास 'सी–विजिल' ऐप द्वारा किया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव 2019 का कार्यक्रम घोषित किया गया जिसके अंतर्गत सात चरणों में चुनाव को सम्पन्न कराने की बात की गयी है। चुनावों के दिनांकों की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया था। इसप्रकार स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक मोबाइल ऐप का प्रयोग किया गया, जिसकी सहायता से देश के किसी भी कोने में आदर्श आचार

संहिता से जुड़े मामलों की शिकायत की जा सकती है तथा इस परतुं कार्यवाही भी की जाएगी। सी–विजिल ऐप द्वारा दश का कोई भी नागरिक चुनाव आयोग से प्रत्यक्ष संपर्क कर सकता है साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है। आयोग के अनुसार ऐसे मामलों में कार्यवाही 100 मिनट के अंदर पूरी कर ली जाएगी। सी–विजिल ऐप का व्यावहारिक प्रयोग पांच राज्यों (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम तथा राजस्थान) के विधान सभा चुनाव में सफलतापूर्वक किया जा चुका है, परंतु लोकसभा के चुनाव में इसका प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। इस प्रकार इसबार के लोक सभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन पर दृष्टि चुनाव आयोग के साथ जागरूक नागरिकां द्वारा भी रखा जा रहा है। जागरूक नागरिक को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दृश्य वाली मात्र एक चित्र खिंचना है अथवा दो मिनट की अवधि की वीडियो दर्ज करनी है। इस तरह एक नागरिक उल्लंघन की अनेक रिपोर्ट कर सकतेहैं, प्रत्येक रिपोर्ट के लिए उन्हें एक यूनिक आईडीदी जाएगी, साथ ही उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। आदर्श आचार संहिता के मानकों को सुदृढ़ करने में यह ऐप महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है।

इस ऐप में दुरुपयोग रोकने की कुछ अंतर्निहित विशेषताएँ हैं–

1. यह ऐप केवल आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के बारे में शिकायत प्राप्त करता है।
2. तस्वीर लेने या वीडियो बनाने के बाद यूजर्स को रिपोर्ट करने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाएगा।
3. इस ऐप में सी–विजिल ऐप का प्रयोग करते हुए फोटो और रिकॉर्ड विडियो को फोटो गैलरी में संरक्षित करने की सुविधा नहीं होगी, यह ऐप चुनाव वाले राज्यां से नागरिक के बाहर निकलते ही निष्क्रिय हो जाएगा।

इस प्रकार आम चुनावों को निष्पक्ष व स्वतंत्र सम्पन्न कराने में आदर्श आचार संहिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, सी–विजिल ऐप इस आदर्श आचार संहिता को और सुदृढ़ करने में अपनी एक अहम भूमिका निभा सकती है। इससे न केवल चुनाव आयोग अपितु आम नागरि कभी दलों के ऊपर दृष्टि बनाए रख सकते हैं, और अगर कोई भी उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता के मानकों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकती है। इस ऐप के द्वारा जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

♦♦♦♦♦

7

निर्वाचन आयोग की आचरिता या लाचारिता?

गरिमा शर्मा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय लोकतंत्र की भव्यता का दर्शन चुनावी त्यौहार की बेला में स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है। इस त्यौहार के रंगों की रौनक को संजोने का कार्यभार चुनाव आयोग का होता है, तथा वह इस बात का बड़ी गूढ़ता से ध्यान रखते है, की रंग में भंग न हो जाए जिस के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव आचार संहिता का निर्माण किया जाता है। यह नियमों का वह ढ़ाचा होता है। जो चुनाव को निष्पक्ष एवम् पारदर्शी बनाने के साथ सामाजिक सौहार्द को संतुलित करने का भी प्रयास करता है। लार्ड ऐक्टन का कथन है की शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्णतः शक्ति पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। ऐसे में शक्ति के प्रति दलगत राजनीति के तहत दलों की बढ़ती लालसा एवम् उसकी प्राप्ति के प्रति भ्रष्ट होते कदमों को रोकने के प्रयास स्वरुप ही निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता का प्रावधान किया गया।

ऐतिहासिक रूप से भारत के अंतर्गत आचार संहिता के निर्माण का श्रेय केरल राज्य को जाता है जिसमें 1960 के राज्य विधान सभा चुनाव के लिए राज्य प्रशासन ने आचार संहिता का ढ़ाचा निर्मित किया। जिसमें प्रमुख दलों द्वारा भाषण, नारों ,सभाओं आदि से सम्बन्धित मुद्दों पर आम सहमति निर्मित करके आचार संहिता को अपनाया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से इससे सम्बन्धित चर्चा को 1985 के 52वे संविधान संशोधन के द्वारा विश्लेषित किया जा सकता है इस संशोधन ने दसवीं अनुसूची को सम्मलित किया जिसने दल–बदल जैसे कानून को प्रस्तुत किया। वस्तुतः आचार संहिता को प्रस्तुत करने का दायित्व चुनाव आयोग के ऊपर ही होता है। परन्तु 1962 के आम चुनाव एवम् राज्य विधान सभा चुनाव से पूर्व यह दलों की आम सहमति से निर्मित ढ़ांचा था, बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता के प्रति रुझान लिया गया। परन्तु इसके निर्धारण का मुख्य आधार दलों की सहमति को ही रखा गया। आचार संहिता को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय पर सम्मेलन किए गए ताकि इसके अंतर्गत आवश्यक सुधारों को शामिल किया जा सके । 1979 में निर्वाचन आयोग ने

राजनीतिक दलों की आम सहमति से आचार संहिता को विस्तारित करने का प्रयास किया तथा 1991 का काल निर्वाचन आयोग के कार्यकाल का सबसे प्रभावशाली कार्यकाल रहा, जब आचार संहिता को मात्र पुनःसमेकित ही नहीं किया गया वरन् इसको धरातलीय स्तर पर लागू करवाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दृढ़ कदमों को भी उठाया गया।

लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदमों के साथ नई चुनौतियों का भी आगमन हुआ तथा आचार संहिता से सम्बन्धित मुद्दे न्यायालय के अंतर्गत भी प्रस्तुत हुए जिसके उद्धरण 1991 के आम चुनाव के पश्चात् से प्राप्त किए जाने लगे थे। जिसमें आचार संहिता के प्रभाव की अवधि से सम्बन्धित प्रश्न का मुद्दा 1996 में पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। याचिकाकर्ता की याचना थी जिसमें कहा गया कि आचार संहिता के प्रभाव को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की अपेक्षा चुनाव अधिसूचना की तिथि से लागू किया जाए क्योंकि यह विकास की नई योजना के लागू होने में अवरोधक का कार्य करता है। परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग के पक्ष में फैसला सुनाया तथा निर्णय दिया की चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से निर्वाचन आयोग आचार संहिता को लागू कर सकता है। बाद में इस मुद्दे को तात्कालिक केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया तथा निर्णय से पूर्व ही निर्वाचन आयोग तथा केंद्र सरकार के मध्य सहमति बन गयी की आचार संहिता को चुनावों की घोषणा की तिथि से लागू किया जाएगा परन्तु घोषणा की तिथि एवम् अधिसूचना की तिथि के मध्य तीन सप्ताह से अधिक अंतराल नहीं होगा।

निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, परन्तु आचार संहिता के लिए कोई संविधानिक प्रावधान नहीं है। दलों की आम सहमति से निर्मित यह प्रथा निर्वाचन आयोग की कार्य शैली का अभिन्न अंग बन गयी है। हालाँकि इस पर अनेक प्रश्न भी खड़े किए जाते है की निर्वाचन आयोग आचार संहिता का उल्लघन करने पर मात्र निंदा, फटकार एवम् नोटिस स्वरुप दंड दे सकती है, जो इनके अनुपालन के लिए पर्याप्त नहीं है।

वास्तविकता में निर्वाचन आयोग का प्राधिकार इससे अधिक विस्तृत है जितना की आम समझ के अनुसार देखा गया है। निर्वाचन आयोग के पास अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार प्राप्त है। ऐसे में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवम् निष्पक्ष चुनाव की आशा से ऐसे प्रतिभागियों एवम् दलों को आचार संहिता के उल्लंघन करने स्वरुप चुनाव प्रक्रिया से उनको निरस्त कर सकती है। चुनाव प्रतीक आदेश 1968 के पैरा 16–ए के प्रावधान

के अनुसार आचार संहिता के प्रावधानों को विफल होने पर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों की मान्यता वापस ले सकती है या निलंबित कर सकती है इनके अलावा आचार संहिता के अंतर्गत के प्रावधान मूल कानून के दायरे के अंतर्गत भी सम्मिलित होते है।

दलों की आम सहमति पर निर्मित आचार संहिता को निर्वाचन आयोग द्वारा एक नई ऊर्जा प्रदान की, जिसमें संविधानिक प्रावधान न होने के बावजूद इसके पालन को कानूनी दांव पेंच के अंतर्गत रख दिया गया है। सही मायनों में इसके अनुपालन का उत्तरदायित्व दल एवम् निर्वाचन आयोग दोनों के ऊपर आती है तथा इसकी प्रभावशीलता को मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्य शैली के दृष्टिकोण से भी मूल्यांकित किया जा सकता है जैसा की टी. एन. शेशन का मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यकाल, निर्वाचन आयोग के इतिहास में सबसे अधिक प्रभावशाली कार्यकाल माना जाता ह। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा की किसी भी प्रक्रिया के अनुपालन का कार्य भार जितना की उस से सम्बन्धित संस्था से होता है उतना ही उन प्रतिभागियों पर भी होता है जिनके लिए उस प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है तथा संस्था के रूप में निर्वाचन आयोग की भूमिका सदैव सराहनीय रही है।

♦♦♦♦♦

8

सोशल मीडिया कंपनियों के प्लेटफार्म पर लोक सभा चुनाव 2019 के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के दुरूपयोग रोकने हेतु रणनीति

डॉ. अमित अग्रवाल

सहायक प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, राजकीय महिला पी.जी. कॉलेज, सी.सी.एस. विश्वविद्यालय

केन्द्रीय चुनाव आयोग नई दिल्ली ने लोकसभा चुनाव 2019 के तिथि की घोषणा 10 मार्च 2019 रविवार को कर दी गई थी। इसके साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता (मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट) भी लागू कर दी गई है। चुनाव आयोग के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार देशभर में कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए गए। चुनाव के पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होना था, जबकि मतगणना 23 मई को सम्पन्न होगी। चुनाव आयोग की दिशानिर्देश में कहा गया है, कि लोकसभा चुनाव 2019 में निष्पक्ष और निर्विवाद चुनाव संपन्न करवाना मुख्य उद्देश्य था। सोशल मीडिया कंपनियों के मंच पर लोक सभा चुनाव 2019 के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के दुरूपयोग को रोकने हेतु रणनीति की दिशानिर्देश चुनाव आयोग द्वारा बनायी गयी है।

साइबर मीडिया रिसर्च एंड सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष थॉमस जार्ज का मानना है कि 2019 का चुनाव मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर लड़ा जाएगा। सोशल मीडिया पहले ही हमारे लोकतंत्र में बातचीत के लिए एक जीवंत मंच के रूप में उभरा चुका है। उन्होंने कहा, "याद रखिए, यह पहला आम चुनाव है जहां 40 करोड़ नए डिजिटल नेटिव पहली बार मतदान करेंगे।"थॉमस जार्ज ने कहा कि आगामी माह में होने वाले चुनाव के दौरान हम लोग सोशल मीडिया नेटवर्क को दुष्प्रचार की एक विशाल रणभूमि बनकर उभरते हुए देखेंगे। क्या है लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता–आचार संहिता कुछ नियमों की एक सूची (लिस्ट) होती है। इस दौरान राजनेताओं को दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन नियमों का पालन चुनावी उम्मीदवारों को ना सिर्फ अपने भाषणों में करना होता है बल्कि सभी प्रकार के चुनावी प्रचार और यहां तक कि उनके घोषणापत्रों में भी करना होता है।

सूचना प्रौद्योगिकी के एक विशेषज्ञ का कहना है कि देश के आम चुनाव में प्रौद्योगिकी पहली बार केंद्रीय भूमिका में है। उनका मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावी नतीजे में सोशल मीडिया निर्णायक भूमिका निभा सकती है। पूर्व दूरसंचार सचिव और नैसकॉम के पूर्व अध्यक्ष आर चंद्रशेखर ने कहा है कि पहले के चुनावों में इसकी भूमिका सीमित थी, लेकिन अब इसका क्षेत्र बढ़ गया है। आचार संहिता के क्षेत्र में अब सोशल मीडिया भी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन भरते समय अपने सोशल मीडिया खाते की जानकारी देनी होगी। बताया जा रहा है कि वे चुनाव प्रचार थमने के बाद मतदाताओं को फोन, एसएमएस या वॉट्सएप के जरिए अपने पक्ष में वोट करने को नहीं कह सकते। चुनाव आयोग,नई दिल्ली ने सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के दुरूपयोग को रोकने के विकल्पों पर करीब दो घंटे तक विचार किया।चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों से कहा की वो आचार संहिता के ढांचे की तर्ज पर एक संहिता तैयार करें जो आगामी चुनाव और दीर्घकाल में प्रयोग हो सके।

बैठक के बाद चुनाव आयोग की एक अधिकारिक प्रकाशन में कहा गया है कि सोशल मीडिया मंच और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया पूरे उद्योग के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स यानी नैतिकता की संहिता तैयार करता हैं। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया पर व्यय अब चुनावी व्यय में शामिल कर दिया है। प्रकाशन के अनुसार33 नैतिकता की संहिता के परिचालन विवरण में कहा गया है कि सोशल मीडिया कंपनियां उनके मंच का दुरूपयोग करने वालों के विरूद्ध कठोरता से कार्यवाही करेंगें। चुनाव आयोग में हुई बैठक में इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI), फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल, शेयरचैट, टिक टॉक और बिगटीवी जैसे सामाजिक मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए।

साल 2014 में भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या करीब 25 करोड़ थी। आज यह संख्या करीब 55 करोड़ है। वहीं साल 2018, देश में स्मार्टफोन का उपयोग करने वालों की संख्या 40 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। दूसरी ओर जहाँ दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया मंच फेसबुक के भारत में करीब 30 करोड़ मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, वहीं व्हाट्सएप पर 20 करोड़ से ज्यादा और ट्विटर पर 3.4 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हर माह सक्रिय रहते हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि 17वीं लोकसभा के लिए होने जा रहे चुनाव में विभिन्न दलों के राजनीतिक प्रचार को आकार देने में सोशल मीडिया ने एक मुख्य भूमिका निभाई है। सॉफ्टवेयर

फ्रीडम लॉ सेंटर (एस.एफ.एल.सी.) के विधिक निदेशक प्रशांत सुगाथन का कहना है कि इस दौरान इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या दोगुनी से अधिक हो चुकी है और इन नए उपयोगकर्ताओं में अधिकतर जनसंख्या मोबाइल के माध्यम से वेब का प्रयोग करती है। विभिन्न दलों के पास समर्पित सोशल मीडिया सेल हैं, यह माध्यम निश्चित रूप से इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाएगा। कब लागू किया जाता है–चुनाव आयोग जब चुनाव की तिथि की घोषणा कर देता है तो इसके बाद तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक आचार संहिता लागू हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निष्पक्ष और निर्विवाद चुनाव संपन्न कराना इसका मुख्य उद्देश्य होता है और इस अंतराल में सभी राजनेताओं और चुनावी उम्मीदवारों को इन सभी नियमों का पालन करना होता है। आचार संहिता लाग् होने के अंतराल केंद्र सरकार और सभी राज्यों के कर्मचारी चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। इस अंतराल सार्वजनिक धन, यानी सरकारी धन के माध्यम से कोई भी ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता जिससे किसी दल का प्रचार होता हो।आचार संहिता के नियमों के अनुसार इन कार्यक्रमों में कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। कोई राजनीतिक दल या प्रत्याशी ऐसी बात या काम नहीं कर सकता जिससे धर्म, जाति, भाषा या अन्य प्रकार से समुदायों के बीच द्वेष फैलता हो। चुनाव आयोग के अनुसार दलों को चुनाव की लड़ाई अपने बीच रखनी चाहिए और इसे व्यक्तिगत होने से भी रोकना चाहिए।

भारत में जब साल 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या कम होने के कारण से मतदाताओं पर सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत कम था और पारंपरिक मीडिया चरम पर था। लेकिन इस बार सोशल मीडिया राजनीतिक प्रचार में एक मुख्य भूमिका निभाने जा रहा है।चुनाव आयोग लोक सभा चुनावों के अंतराल सोशल मीडिया के किसी भी संभावित दुरूपयोग को रोकना चाहता है। सोशल मोडिया कंपनियों के साथ बैठकों के माध्यम से सोशल मीडिया कम्पनियों की भी उत्तरदायित्व निश्चित करने की मंशा है। चुनाव आयोग को असत्य सूचना बनाने पर दोषियों के विरूद्ध कठोरता से कार्यवाही करने के लिए भी अलग से रणनीति बनानी होगी। ऐसे दौर में, दुष्प्रचार से लड़ना और सोशल मीडिया किस तरह मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है, इस चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा होगा। सुगाथन ने कहा, "धार्मिक और जातीय मतभेदों पर आधारित लक्षित संदेश मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर सकते हैं और देश के विविध सांस्कृतिक ताने–बाने का प्रभावित कर सकते हैं।''

♦♦♦♦♦

9

चुनाव आचार संहिता एवं चुनाव आयोग की विफलता

यास्मिन

राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

2019 का भारत कई उतार–चढाव से गुजरा है, जहाँ एक ओर भारतीय उपलब्धियों को देखें तो इसी वर्ष राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (नेशनल वॉर मेमोरियल) का निमार्ण, और इसरो की कई उपलब्धियां देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा के क्षेत्र में पुलवामा जैसे आतंकी हमला भी देखने को मिलता है।राजनीतिक क्षेत्र में भी कई बदलावोंको देखा गया, जहाँ कई पुराने नेताओं को अपना पद त्यागना पडा, तो वहीं कांग्रेस में दशकों से दूर रही प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया, और बीजेपी के नाम से प्रचलित पार्टी मोदी केंद्रित हो गई।

इन सबके अतिरिक्त इसी वर्ष भारत में लोकसभा चुनाव हुए है। इस 17वीं लोकसभा चुनावों की तिथि की घोषणा भी हो चुकी थी, जोकि सात चरणों में, 11 अप्रैल से 19 मई के मध्य हुए। इन दिनों जहाँ भारत में चुनावी दंगल शुरू हो गया था, वहीं चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई थी, जो चुनाव के परिणाम तक रहेगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारो, प्रत्याशियों, और जनता के ऊपर लगाई जाती है, यह एक प्रकार की नियमावली है, जो निष्पक्ष चुनाव में भागीदार है। जिसमें, चुनाव में किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, क्षेत्र से सम्बंधित मुद्दे नहीं उठाये जायेंगे आदि, हांलाकि इसका वर्णन संविधान में नहीं है। वास्तव में आदर्श चुनावी आचार संहिता एक सहमति का दस्तावेज है। राजनीतिक दल स्वयं इस पर सहमत हुए हैं कि वे चुनाव के दौरान अपने तौर–तरीकों पर नियंत्रण रखेंगे और संहिता के दायरे में काम करेंगे, संहिता के मुताबिक उम्मीदवारों और दलों को अपने विरोधियों और विपक्षी उम्मीदवारों के प्रति सदाशयता और आदर रखना चाहिए, नीतियों और कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए और विराधी पर कीचड़ उछालना या व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक नैतिकता और सबको समान अवसर की अपेक्षा इत्यादि संहिता के अनुसार की गई ह। परन्तु इसका पालन अति–आवश्यक है, अन्यथा इसके उल्लंघन से पहले चेतावनी, फिर चुनाव प्रचार पर रोक और अंत में उम्मीदवारी रद्द

की जा सकती हैं। अगर चुनाव आयोग का इतिहास देखें तो देश मे चुनावी आचार संहिता का एक लंबा, विकट और विवादों भरा इतिहास रहा है। 1960 में विधानसभा चुनावों में आचार संहिता लागू करने वाला केरल देश का पहला राज्य था, प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया प्रयास सफल रहा और चुनाव आयोग ने केरल के उदाहरण को 1962 के चुनावों में उतारा। लेकिन औपचारिक रूप से चुनावी आचार संहिता 1974 में लागू हो पाई और 1977 के संसदीय चुनावों में इसे वितरित कर दिया गया। तब तक ये संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारा के आचार तक ही सीमित थी। लेकिन आगे चलकर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का मुद्दा सामने आया तो आयोग ने 1979 में संशोधित आचार संहिता लागू की, इसके बाद कई अवसरों पर संहिता में संशोधन किए जाते रहे।

2001 में ये व्यवस्था बनाई गई कि चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावी मानी जाए। 2013 में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर हिस्से जोड़े गए, आखिरी बार 2014 में संशोधन हुआ जब आयोग ने घोषणापत्रों पर आठवां खंड इसमें जोड़ दिया। परन्तु कई मौका पर चुनाव आयोग को अपनी कठोरता और साहस के लिए भी याद किया जाता है, तथा कमियों को भी दिखाता है, जिसमें 2012 का साल विकट का रहा जब 7 लाख से ज्यादा शिकायत चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की आई थी, जिसमें 4 लाख से ज्यादा शिकायत केवल यूपी की थी। वहीं कठोरता को, 2014 में बीजेपी नेता अमित शाह और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को यूपी में चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने के रूप में देखा जाता है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या 2019 के आम चुनाव में इस चुनाव आचार संहिता का सुचारू रूप से पालन हो रहा है या नहीं?

कई प्रत्याशियों द्वारा चुनाव में जाति, धर्म, क्षेत्र से सम्बंधित मुद्दों को उठाया गया, जहाँ सर्वप्रथम सुल्तानपुर में मेनका गांधी का विवादित भाषण, जो मुसलमानों के विरोध में था इस भाषण से पूर्व भी मेनका गांधी विवादित भाषण दे चुकी थी, इसके विरूद्ध कांग्रेस की शिकायत तथा न्यायालय की फटकार के बाद चुनाव आयोग की नोंद खुली। इसके बाद ऐसा ही भाषण मायावती और नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा भी दिये गये जिसमें मुसलमानों को बहलाने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त योगी आदित्यनाथ द्वारा 'हरा वायरस' और 'बजरंग बली' जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, हद तो तब हुई जब आजम खान ने बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा के विरूद्ध आपत्तिजनक भाषण दिया, अतः इन सभी के ऊपर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई थी। परन्तु मुद्दा केवल यहाँ तक सीमित नहीं है, उदाहरणतः अमित शाह ने शामली

और बिजनौर में कथित तौर पर भड़काऊ साम्प्रदायिक भाषण दिये परन्तु उनके मांफी मांगते ही उन्हें बिना किसी कार्यवाही के माफ कर दिया। इसके अतिरिक्त राहुल गाँधी पर पश्चिम बंगाल में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया, जिसकी चुनाव आयोग ने कोई जांच की नहीं की, बार–बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है बोल जाना और प्रियंका गांधी द्वारा उन्हें कायर कहना प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का उल्लंघन है, जिसपर भी चुनाव आयोग का कोई ध्यान नहीं गया।

प्रश्न केवल यहीं नहीं रूकता गुजरात के राणित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मतदान के बाद चुनाव बूथ पर भाजपा का चुनाव–चिन्ह दिखाना और प्रेस कांफ्रेस करना आदि चुनाव प्रचार करने के माध्यम है, जो किसी भी मतदान केन्द्रों पर 48 घंटे पहले ही बन्द हो जाते हैं, परन्तु फिर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके अतिरिक्त सैनिकों की फोटो दिखाना और उनके नाम पर वोट मांगना जबकि कई सैनिक इसके खिलाफ राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी चुके हैं, फिर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। इन सब घटनाओं के उपरांत पूर्व चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने बयान दिया कि "ये निर्भर करता है कि चुनाव आयोग में अब कितनी शर्म रह गई है।" न्यायालय भी कई बार चुनाव आयोग को फटकार लगा चुका है तथा उसकी शक्तियो से अवगत करवा चुका है, फिर भी चुनाव आयोग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

बात केवल जुबानी मुद्दों तक सीमित नहीं है, अब प्रत्याशियों के खिलाफ विवादित पर्चे भी बंटने लगें जिसमें हाल ही में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी ने प्रेस कांफ्रेंस में एक आपत्तिजनक और अपमानजनक पर्चा पढा जो किसी ने उनके खिलाफ छपवाया था और इसे वॉट्सऐप पर फैलाया जा रहा था, इसके बाद पुलिस थाने में इसके विरोध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, परन्तु चुनाव आयोग ने इसपर कोई प्रतिक्रिया प्रकट नही की। वहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह की तरफ देखा जाये तो मालेगाँव विस्फोट मामले में उनका नाम आया था तथा उनपर आतंकवाद का मुकदमा भी चल रहा है, फिर भी उन्हें चुनाव में टिकट मिला है। जबकि वह हेमंत करकरे पर भी विवादित बयान दे चुकी है। इसके बाद भी उनको सदस्यता रद्द नहीं कि गई। अंततः 2019 के आम चुनाव का परिणाम जो भी हो वास्तविक यह है कि, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रत्याशियों द्वारा भड़काऊ भाषण देना विवादित बयान–बाजी करना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना सुचारू रूप से जारी रहता है जिसपर चुनाव आयोग की चुप्पी उसकी विफलता को दिखाती है।

♦♦♦♦♦

10

लोक सभा चुनाव आचार संहिता 2019 और पश्चिम बंगाल की हिंसा

राहुल शर्मा

राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

अनुछेद 324 के तहत चुनाव आयोग, चुनाव का संचालन, निर्देशन, और नियंत्रण का अधिकार रखता है, इसी अनुच्छेद के माध्यम से आयोग उन सभी मामलों में दखल दे सकता है जिनके बारे में वैधानिक रूप से कुछ स्पष्ट जानकारी न हो और चुनाव आयोग द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव स़ुनिश्चित कराये जा सके। चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू करना भी इसके अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य मे से एक है। आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन मैं कई परिवर्तन हो जाते हैं।

इसमें चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों में टकराव को रोकने के लिए नियम कानून निहित होते है। जब चुनाव होता है तो आदर्श आचार संहिता प्रचलन में आ जाती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही इसका आधार है इसमें राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को समान अवसर और समानता का स्थान मिलता है, आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य ही यह है कि चुनाव निष्पक्ष स्वतंत्र और निर्विवाद रूप से संपन्न हो।

इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है, कि जातियों और धर्म या भाषाई समुदायों के बीच मतभेद पैदा न हो, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का अनुचित लाभ लेने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना, वोट लुभाने के लिए ऐसा काम न करें जिससे घृणा फैले या तनाव उत्पन्न हो, मतदाताओं को घूस देना व उनको परेशान करना जिससे उन पर दबाव डाला जा सके। मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर वोट मांगना मना होता है। किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार, आहतें या भूमि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, राजनीतिक दल ऐसी कोई अपील जारी नहीं करेंगे जिससे किसी की धार्मिक या जातिगत भावनाएं आहत हो, राजनीतिक दलों की आलोचना, अन्य राजनीतिक दलों के कार्यक्रम और नीतियों तक सीमित है, व्यक्तिगत आलोचना की अनुमति इस दौरान नहीं होती, धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर मस्जिद या प‌्जा क्या अन्य स्थानों पर चुनाव प्रचार के दौरान मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता।

दलों या उनके उम्मीदवारों को दूसरे दलों के चुनावी सभाओं द्वारा जुलूस में बाधा उत्पन्न नहीं करनी होती, चुनाव प्रचार करने के लिए दलों को स्थान समय के बारे में चुनाव अधिकारी को सही समय पर सूचना देनी होती है। इसके साथ ही किसी भी दल के प्रत्याशी के समर्थकों को जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने की पूर्व अनुमति पुलिस द्वारा ली जानी आवश्यक है। उम्मीदवारों को पहले ही यह सुनिश्चित करना होता है कि जो सभा स्थल उन्होंने चुना है वहां निषेधाज्ञा लागू ना हो. सभा के दौरान लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति प्राप्त करनी होती है, चुनावी प्रचार के आयोजन की सभा में बाधा पैदा करने वालों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता ली जा सकती है. किसी भी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ खुद कार्यवाही ना करें।

जुलूस का समय और जुलूस किस स्थान से शुरू होगा किस मार्ग से होकर गुजरेगा, किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा इसके बारे में स्थानीय पुलिस को पहले से सूचना देनी होती है, जुलूस का प्रबंध इस प्रकार से किया जाए जिससे कि यातायात प्रभावित ना हो, जुलूस को सड़क के बायों ओर रखा जाए, अगर दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों मैं उसी समय जुलूस निकालने का कार्य किया है तो आयोजकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जुलूस में कोई टकराव ना हो, जुलूस में ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें जिनका प्रयोग उत्तेजना के चरणों में किया जा सके, किसी भी राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को अन्य राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के पुतले साथ लेकर चलने और उनको सार्वजनिक स्थान पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निष्पक्ष चुनाव का पूरा उत्तरदायित्व चुनाव आयोग के हाथों में होता है। लेकिन जब बात चुनावों में मुद्दों, दावों, और वादों से निकलकर आरोप–प्रत्यारोप, मारपीट, दंगा, फसाद, गाली–गलौज, और तोड़फोड़ पर उतर आए तो यकीनन लोकतंत्र की आत्मा छलनी होने लगती है और तब इस संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह कठोर से कठोर कदम उठाए और आदर्श आचार संहिता की कसौटी पर हर नेता, हर दल और हर राजनीतिक गतिविधि को कसे।

चुनाव आयोग को संविधान के तहत यह अधिकार है कि चुनाव के समय कोई स्थिति पैदा होने पर पहले से जारी कारणों में यदि अपर्याप्त प्रावधान है तो आयोग द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।

पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा और विवाद

इस बार पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कदम उठाकर एक कड़ा संदेश दिया है कि आदर्श आचार संहिता सर्वोपरि है। छठे दौर की वोटिंग के अंतराल पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबर सामने आई थी। यह खबर झारग्राम में बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ता की हत्या से जुडी थी, हत्या का आरोप टीएमसी पर लगा था।

वहीं दूसरी तरफ कांठी में टीएमसी के भी एक कार्यकर्ता का शव बरामद हुआ था। तो हर बार की तरह इस दौर के मतदान में भी बंगाल में हिंसा हो रही थी। एक अन्य मामले में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी उम्मीदवार के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए थे. उनपर बूथ नंबर 199 में घुसने और पोलिंग एजेंट और पोलिंग अधिकारी को धमकाने के आरोपो को मुख्य कारण माना गया।

लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को ध्यान में रखकर राज्य की 9 लोकसभा सीटों पर 19 मई को होने वाले मतदान की निर्धारित अवधि के एक दिन पहले ही प्रचार अभियान पर रोक लगा दी थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी रोड शो के दौरान चुनावी हिंसा हुई। इसी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 16 मई को रात 10 बजे से हर प्रकार का प्रचार अभियान बंद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कानून–व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने यह फैसला किया।

यह पहला अवसर था जब चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत इस तरह की कार्यवाही करनी पड़ी और इसकी पुष्टि उप–चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण कुमार ने की। उन्होंने बताया कि देश के इतिहास में शायद यह पहला अवसर है जब आयोग को चुनावी हिंसा के मद्देनजर किसी चुनाव में निर्धारित अवधी से पहले चुनाव प्रचार प्रतिबंधित करना पड़ा हो. और विद्यासागर महाविद्यालय में तृणमूल कांग्रेस को छात्र इकाई और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। हिंसा के दौरान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई।

इस पर चुनाव आयोग ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अजय नायक को विशेष पर्यवेक्षक और पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी विवेक दुबे को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात

किया है। इसके अलावा आयोग ने पश्चिम बंगाल में तैनात प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के दो अधिकारियों को भी सेवा मुक्त कर इन्हें चुनाव प्रचार से दूर रहने का आदेश दिया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल की खुफिया शाखा के महानिदेशक राजीव कुमार को सेवा मुक्त कर केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबंध कर दिया है, साथ ही पश्चिम बंगाल के गृह सचिव अत्री भट्टाचार्य को भी सेवा मुक्त कर उनका प्रभार राज्य के मुख्य सचिव को सौंपने का आदेश दिया है।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली–110007

www.dcrc.du.ac.in office@dcrc.du.ac.in @dcrcofficial +91-11-27666281